

Sl No. 248

सं० 5/23/2013 - पी पी -1

भारत सरकार  
गृह मंत्रालय  
(नीति नियोजन प्रभाग)

एन.डी.सी.सी.॥ भवन,  
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001  
नई दिल्ली, दिनांक: 17 दिसम्बर, 2013

सेवा में,

श्री हरून मुस्तफा शेख,  
692, सागर टावर,  
जायसवाल होटल के बाजू,  
डा0 अम्बेडकर मार्ग,  
नागपुर - 440017

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत मांगी गई जानकारी ।

महोदय,

कृपया अपने दिनांक 02.12.2013 के आर.टी.आई आवेदन का संदर्भ लें जो उपरोक्त विषय पर दिनांक 17.12.2013 को इस प्रभाग में श्री वी.के. राजन उप सचिव (ई) और इस मंत्रालय के सी.पी.आई.ओ से उसके दिनांक 11.12.2013 के कार्यालय ज्ञापन सं० ए- 43020/01/2013 - आर.टी.आई सहित प्राप्त हुआ।

2. आपके आर.टी.आई. आवेदन का विषय विदेश मंत्रालय के कार्यों के अधिक निकट है और इस संबंध में कोई जानकारी इस प्रभाग में उपलब्ध नहीं है।

3. उपरोक्त के मद्देनजर, आपका आर.टी.आई. आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई हेतु विदेश मंत्रालय के पी.ए.आई (पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान) प्रभाग को हस्तांतरित किया जाता है। आपके आर.टी. आई आवेदन की एक प्रति जानकारी यदि कोई उनके पास हो तो उपलब्ध करवाने हेतु इस मंत्रालय के सीमा प्रबंधन, विदेशी और आई.एस.-1 प्रभागों के सी.पी.आई.ओ को भेजी जा रही है। आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में और जानकारी के लिए विदेश मंत्रालय और इस मंत्रालय के उपर-उल्लिखित सी.पी.आई.ओ से संपर्क करें।

4. अपील, यदि कोई हो तो, श्री लोकेश झा संयुक्त सचिव (पी.पी), नीति नियोजन प्रभाग, गृह मंत्रालय एन.डी.सी.सी.॥ भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली - 110001 के समक्ष की जा सकती है।

भवदीय,

बी.के. पंत

(बी. के. पंत)


उप सचिव, भारत सरकार एवं सी.पी.आई.ओ.

RTI- 248/Dir (IS-2)/13  
19/12/13

नीति  
18/12/13  
Noted

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. आर.टी.आई अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत श्री हरून मुस्तफा शेख के दिनांक 02.12.2013 के आर.टी.आई आवेदन की प्रति सहित प्रतिलिपि पी. ए. आई. प्रभाग, विदेश मंत्रालय, साउथ ब्लॉक नई दिल्ली - 110011 को भेजी जाती है। (ध्यानाकर्षण: श्री रुदेन्द्र टंडन, संयुक्त सचिव (पी.ए.आई) इस अनुरोध के साथ कि संबंधित सी.पी.आई.ओ को कृपया कहा जाए कि इस मंत्रालय को सूचित करते हुए जानकारी सीधा आवेदक को दें।
2. श्री हरून मुस्तफा शेख के दिनांक 02.12.2013 के आर.टी.आई आवेदन की एक प्रति सहित प्रतिलिपि भेजी जाती है:-
  - (i) श्री राइस अहमद, निदेशक और सी.पी.आई.ओ (बी.एम-1); सीमा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय एन.डी.सी.सी.-1। भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली 110001 इस अनुरोध के साथ कि जानकारी, यदि कोई आपके पास उपलब्ध हो तो इस प्रभाग को सूचित करते हुए सीधे श्री शेख को उपलब्ध करवाएं।
  - (ii) श्री विकास श्रीवास्तव, अवर सचिव (एफ) और सी.पी.आई.ओ, विदेशी प्रभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी.-1। भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली -110001, इस अनुरोध के साथ कि जानकारी यदि कोई आपके पास उपलब्ध हो तो इस प्रभाग को सूचना देते हुए सीधे श्री शेख को उपलब्ध करवाई जाए।
  - (iii) श्री राकेश मित्तल, निदेशक (आई.एस-1) और सी.पी.आई.ओ, आंतरिक सुरक्षा-1 प्रभाग, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 इस अनुरोध के साथ कि यदि कोई जानकारी आपके पास उपलब्ध हो तो इस प्रभाग को सूचित करते हुए सीधे श्री शेख को उपलब्ध करवाई जाए।
  - (iv) श्री वी.के. राजन, उप सचिव (ई) और सी.पी.आई.ओ, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 को उनके दिनांक 11.12.2013 के कार्यालय ज्ञापन सं0 ए - 43020/01/2013- आर.टी.आई के सदर्थ में सूचनार्थ।



(बी. क. पंत)

उप सचिव, भारत सरकार एवं सी.पी.आई.ओ.

सं. ए-43020/01/2013-आर.टी.आई.

मानव संसाधन

रुड़ि, नैनीताल

\*\*\*\*

तारीख: दिनांक 11/12/2013

कार्यवाही का अंश

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री. टी. आई. मानव संसाधन विभाग के आवंटन का अंश।  
श्री. टी. आई. मानव संसाधन विभाग

इस सूचना के सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री. टी. आई. मानव संसाधन विभाग के दिनांक 09/12/2013 का आवंटन प्राप्त हुआ है (09/12/2013 को प्राप्त)। श्री. टी. आई. मानव संसाधन विभाग से संबंध रखता है। के कार्य से निकलता से संबंधित है, जो आवंटन को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के अंतर्गत उस लोक प्रधिकारी को सूचना उपलब्ध बनाने के लिए अंतरित किया जा रहा है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु किसी अन्य प्राधिकारी से संबंधित है तो आवंटक को सूचित करते हुए आवंटन को जाने लीधे उस प्राधिकारी को अंतरित कर दिया जाए।

2. आवंटक ने रसीद संख्या 28500 दिनांक 09/12/2013 (प्रति संदक) के माध्यम से 10/- रुबर का निर्धारित शुल्क जमा कर दिया है। (अब नहीं किया है क्योंकि वह प्रतीकी रसीद से जीटे के द्वारा से संबंधित है।)

टी. के. राजन  
(वी.के. राजन)

उप सचिव (सं.) एवं  
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

सेवा में;

(i) श्री. टी. आई. मानव संसाधन विभाग, नैनीताल  
(ii) श्री. टी. आई. मानव संसाधन विभाग, नैनीताल

श्री. टी. आई. मानव संसाधन विभाग, नैनीताल

प्रतिलिपि, सूचनाार्थ प्रेषित:

17/12/2013

श्री. टी. आई. मानव संसाधन विभाग, नैनीताल  
692, गंगार बाजार, नैनीताल, उत्तरांचल प्रदेश-245007

(उत्तर: मामले में आगे का सूचना के लिए उपर-उल्लेखित लोक प्राधिकारी से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है।)

17/12/2013  
5/23/2013-PPF

US(PP-I) - outcare  
SO(PP-I)

# राष्ट्रीय सूचना अधिकार बिलसंघ

## National Right to Information Committee

मुख्य कार्यालय : ६९२, सागर टावर, डॉ. आंबेडकर मार्ग, नागपुर-१७.

STOP  
CORRUPTION  
IN JUSTICE

✧ अध्यक्ष ✧

एजाज खान

M. : 09370999583

✧ उपाध्यक्ष ✧

मोहन करिमारे

M. : 09373112437

✧ महासचिव ✧

उत्तरीश वासनिक

M. : 09373276642

✧ काषाध्यक्ष ✧

कु. मंजुला प्रसाद

M. : 09373956959

Ref. No. 49/2013

Date: 02/12/2013

✧ सचिव ✧

शेख हारुन

M. : 09426063972

✧ सचिव ✧

डॉ. सुमित तिवारी

M. : 09422143242

✧ सदस्य ✧

प्रशांत दंडोड

M. : 09096433668

सौ. वंदना पादिल

M. : 09370235622

जफर अब्बास

M. : 08055367272

रमैया कोतपल्लीवार

M. : 09763247752

इलयास अहमद

M. : 09371446865

जोडपत्र 'अ'

(नियम 3 पहा)

माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये अर्ज

प्रति,

शासकीय माहिती अधिकारी

कार्यालयाचे नाव

1. अर्जदाराचे संपूर्ण नाव

2. पत्ता

3. आवश्यक असलेल्या माहितीचा तपशील

(1) माहितीचा विषय

(2) माहिती संबंधित कालावधी

(3) आवश्यक असलेल्या माहितीचे वर्णन

(4) माहिती टपालाद्वारे किंवा व्यक्तिशः

आवश्यक आहे किंवा कसे

(5) टपालद्वारे असेल त्याबाबतीत

नही

4. अर्जदार दारिद्रेषेखाली आहे किंवा कसे

नही

यदि मागील सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित न हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पाँच दिनों की समयावधी के अंतर्गत हस्तांतरित करें साथही अधिनियमों के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपीली अधिकारी का नाम और पता अवश्य बतायें।

जन माहिती अधिकारी

विदेश मंत्रालय विभाग, (भारत सरकार)

न्यु दिल्ली.

श्री हारुन मुस्तफा शेख

C/o. श्री. अटल बिहारी वाजपेयीजी

692, सागर टावर, जेस्वाल हॉटेल के बाजू

डॉ. आंबेडकर मार्ग, नागपूर - 17-445019

मोबाईल नं. :- 09432063972.

भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री. अटलबिहारी वाजपेयीजी की पाकीस्तान यात्रा से संबंधित।

भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री. अटलबिहारी वाजपेयीजी प्रधानमंत्री रहते हुए अपने कार्यकाल में उन्होंने पाकीस्तान दस यात्रा का शुभारंभ किया था व भारत व पाकीस्तान दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था। वह समझौता क्या था? इस समझौते से संबंधित संपूर्ण माहिती दें।

स्वाक्षर: टपालद्वारे

अर्जदाराची स्वाक्षरी

(श्री हारुन मुस्तफा शेख)

ठिकाण : नागपूर.

दिनांक : 02/12/2013

PMo  
DS(PP)

Copy of SL No. 248

RTI MATTER  
By Speed Post

No.II/20034/20/2013-(IS-II)(Pt.)  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
(IS-I DIVISION)

New Delhi, Dated 19 December, 2013

To,


Shri Harun Mustafa Sheikh  
692. Sagar Towar.  
Near Jaiswal Hotel.  
Dr. Ambadekar Marg  
Nagpur - 440017  
Maharashtra

Sir,

With reference to your RTI application received in the Office of undersigned on 18.12.2013, on transfer from PP Division of MHA, it is informed that the information sought by you vide your RTI application dated 2.12.2013 is not available in the records of IS-II Desk, for which I am the CPIO. However, the application is being transferred to Director(IS-II), MHA to provide information, if available in their records.


2. In case you are not satisfied with the reply, you may prefer an appeal within 30 days from the receipt of this communication to Shri Rakesh Singh, Joint Secretary(IS-I), Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi who is the appellate authority in this case.

Yours faithfully,

  
(Rakesh Mittal)

Director (IS-I) & CPIO  
Tel.23092132

o/c




20/12/2013

Shri Ramesh Kumar Suman, Director (IS-II), MHA, North Block, New Delhi along with RTI application.

2. Shri B.K. Pant, Deputy Secretary (PP-I) & CPIO vide their RTI application OM No. 5/23/2013-PP-I dated 18.12.2013.

3. Shri V.K. Rajan, Deputy Secretary (E) & CPIO vide their RTI application OM No. A.43020/1/2013-RTI dated 11.12.2013.

  
9.12.13